महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 39वीं बैठक

दिनांक 31 जनवरी, 2009 का कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 39वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2009 को मध्याह्न 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति :

01. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
02. प्रो. एम.एल.छीपा, संकायाध्यक्ष- स्नातकोत्तर अध्ययन, संयोजक- अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय,अजमेर
03. प्रो.के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष (महाविद्यालय) संयोजक- प्राणिशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- प्राणीशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
04. प्रो.बी.पी. सारस्वत, डीन (छात्र कल्याण), संयोजक- ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- वाणिज्य, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
05. प्रो.आर.पी.जोशी, संकायाध्यक्ष (समाज विज्ञान), संयोजक- राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन, म.द.स.विश्वविद्यालय, अजमेर
06. डॉ. वी.जी. जाधव, संकायाध्यक्ष (शिक्षा), संयोजक-शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
07. प्रो.सर्वेश पालरिया, संकायाध्यक्ष (विज्ञान संकाय), संयोजक- रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष- रिमोट सेंसिंग एवं जियो इन्फॉरमेटिक्स, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
08. प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष (प्रबन्ध अध्ययन), विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
09. श्री मदन लाल पीतलिया, संकायाध्यक्ष (विधि संकाय), राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा
10. श्री शेरसिंह दोचाणिया, संकायाध्यक्ष (वाणिज्य संकाय) प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
11. प्रो.एस.के. माहना, संयोजक- वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -वनस्पतिशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
12. प्रो. के.सी. शर्मा, संयोजक- पर्यावरण अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
13. प्रो. एस.एन.सिंह, कार्यवाहक विभागाध्यक्ष- इतिहास विभाग, म.द.स.विश्वविद्यालय,अजमेर
14. प्रो.के.जी. ओझा, संयोजक- रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -रसायनशास्त्र, अनुप्रयुक्त रसायन, भैषेजिक रसायनशास्त्र, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
15. प्रो.लक्ष्मी ठाकुर, संयोजक- जनसंख्या अध्ययन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष -जनसंख्या अध्ययन, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
16. श्रीमती माया बंसल, संयोजक- संस्कृत अध्ययन बोर्ड, प्राचार्या, एस एम एम कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
17. डॉ. नीरज भार्गव, संयोजक-कम्प्यूटर साइंस अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
18. डॉ. एन.एल. शर्मा, प्राचार्य, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़
19. श्रीमति राजेश्वरी माथुर, प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़
20. श्री विजय कुमार वैद्य, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)
21. डॉ. विमला सिंहल, संयोजक- हिन्दी अध्ययन बोर्ड, एम एल वी कॉलेज, भीलवाड़ा
22. डॉ. (श्रीमती) फिरोज बेग, संयोजक- उर्दू, फारसी, अरबी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
23. प्रो. भरत राम कुम्हार, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड़, राजस्थान, अजमेर

24. डॉ. शांतीलाल बिहाणी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
25. डॉ. शैलबाला मिश्रा, संयोजक- अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, एमएलवी कॉलेज, भीलवाड़ा
26. डॉ. एन.के. बीजावत, संयोजक- समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, एस.डी. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा
27. श्रीमती इन्दुबाला बाफना, संयोजक- गणित अध्ययन बोर्ड, एमएलवी राज. महा., भीलवाड़ा
28. श्रीमती नयन तारा माथुर, संयोजक- गृह विज्ञान, एस एम एम गर्ल्स कॉलेज, भीलवाड़ा
29. डॉ. सी एल गुप्ता, संयोजक, ए.बी.एस.टी अध्ययन बोर्ड, राज. कन्या महा., अजमेर
30. श्री एन.आर. देवल, संयोजक- व्यवसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राज. बांगड महा., पाली
31. प्रो. एल.सी. खत्री, भूगोल विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
32. डॉ. एन.एस. शेखावत, विभागाध्यक्ष, वनस्पति शास्त्र विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
33. कुलसचिव- सदस्य सचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

विशेष आमंत्रित

01 डॉ0 जगराम मीणा, परीक्षा नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
02. श्री प्रकाश पंकज- उपकुलसचिव (शैक्ष.-।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
03. श्री आर.के. व्यास - उपकुलसचिव (शैक्षणिक-।।) म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
04. श्री जी.एन. माहेश्वरी - सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक-।।।), म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

01. डॉ. राम जायसवाल, संयोजक-ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग अध्ययन बोर्ड, रामगंज, अजमेर
02 श्रीमती अंजना भार्गव, संयोजक-संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
03. श्रीमती फूलकंवर काछलीवाल, संयोजक इतिहास अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
04. डॉ. एस.एस. भट्ट, संयोजक-भूगोल अध्ययन बोर्ड, एमएलवी महाविद्यालय, भीलवाड़ा
05. श्री पारस राज धनेटा, संयोजक-भौतिक शास्त्र अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जालौर।
06. प्रो. जी.के. कोहली, संयोजक, खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
07. प्रो. के एल शर्मा, संयोजक-विधि अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
08. प्रो. बी के श्रीवास्तव, संयोजक- भौतिकशास्त्र अध्ययन बोर्ड, राज. विश्वविद्यालय, जयपुर
09. निदेशक, आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। विद्या परिषद् की इस बैठक में उपस्थित हुए नए सदस्यों का परिचय कराया गया। विद्या परिषद् के नए सदस्य-सचिव एवं कुलसचिव श्री कैलाश बैरवा का परिचय हुआ।

कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय में पहला अन्तर्राष्ट्रीय युवा समारोह के ***'बणी ठणी'*** दिनाक 2 व 3 फरवरी, 2009 को आयोजित किए जाने हेतु, आयोजन की रूपरेखा डीन, छात्र कल्याण के तत्त्वावाधान में बनी है, जिसमें लगभग 30 विश्वविद्यालयों के सम्मिलित होने की सम्भावना है।

कुलपति महोदय ने सदन को यह भी अवगत कराया कि, आगामी 3 मार्च, 2009 को विश्वविद्यालय का 5वाँ दीक्षान्त समारोह करने की महामहिम कुलाधिपति महोदय ने स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें मुख्य अतिथि और दीक्षान्त भाषण प्रदान करने के लिए देश के वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी एवं राज्य सभा के माननीय सदस्य डॉ. कर्ण सिंह से सहमति प्राप्त हुई है। कुलपति महोदय ने आशा व्यक्त की कि, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और शैक्षणेत्तर गतिविधियों में चहुँमुखी विकास के लिए विद्या परिषद् के सभी सदस्य सहयोग प्रदान करें। तत्पश्चात्, बैठक की कार्यसूची पर औपचारिक विचार-विमर्श आरम्भ हुआ।

मद	**विवरण**	**अनुभाग/ विभाग**
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 12.09.2008 को सम्पन्न हुई 38वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्र.एफ-13(38)/शैक्ष.-I/मदसवि/2008/45558-607 दिनांक	**शैक्षणिक-।**

22.09.2008 को प्रेषित की गई थी। इस कार्यवृत्त में निम्नांकित वर्तनी की अशुद्धियों को उनके आगे सम्मुख लिखे अनुसार सही रूप में पढ़ा जाना स्वीकार करना :

मद संख्या	वर्तनी की अशुद्धि	सही शब्द
04	(iii) मूल्य	**मूल्यांकन**
09	157-A.7(i)	157-A.7
18	कर्मचारियों को	**कर्मचारियों की**

निर्णय **विद्या परिषद् की दिनांक 12 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुई 38वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि उपर्यक्त सुधार के साथ की गई।**

मद सं. 2 दिनांक 12.09.08 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 38वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। (**अनुपालना रिपोर्ट पूरक कार्यसूची के साथ प्रेषित की जाएगी)।** **शैक्षणिक-।**

निर्णय **विद्या परिषद् की दिनांक 12 सितम्बर, 2008 को सम्पन्न हुई 38वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्न प्रेक्षणों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया:-**

<u>मद सं.3 निर्णय सं. 22 पर प्रेषण :</u> **शैक्षणिक-।**

अनुपालना में अंकित दिनांक '27.12.2008' को '27.1.2009' पढ़ा जाए। माननीय कुलपति महोदय द्वारा की गई अंकित कार्यवाही की विद्या परिषद् ने पुष्टि की और यह भी निर्णय किया कि, अध्ययन बोर्ड के कोई सदस्य यदि स्थानान्तरित हो जाते हैं अथवा सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो यह उनका दायित्व है कि, वे अविलम्ब इसकी सूचना कुलसचिव को प्रस्तुत करें, जिससे कि अध्ययन बोर्ड का गठन हो सके।

<u>निर्णय सं. 11 पर प्रेषण :</u> **गोपनीय**

अनुपालना में अंकित की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई और निर्णय किया कि, प्रारम्भ में व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं पर रोल नम्बर की बारकोडिंग की जाए।

<u>निर्णय सं. 28 पर प्रेषण :</u>

अनुपालना को निम्नानुसार अंकित माना जाए : **डीन, छात्र कल्याण**

विश्वविद्यालय में *'नवाचार कौशल'* का पहला कार्यक्रम 12 जनवरी, 2009 को विवेकानन्द जयन्ती के अवसर पर हुआ, जिसमें विभिन्न संकायों के चार समूह बनाए गए। प्रदेश के विश्वविद्यालयों से 121 प्रतिभागियों ने University Innovation Awards 2009 (UIA-2009) में सहभाग किया और प्रत्येक संकाय समूह में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान करने की घोषणा की गई।

मद सं. 3 विद्या परिषद् की संस्तुति संख्या 7 एवं 10 दिनांक 16 मई, 2008 के सम्बन्ध में **शैक्षणिक-।।।**

प्रो. आर.पी. जोशी की अध्यक्षता में गठित संकायाध्यक्षों की समिति की दिनांक 22.9.2008 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-I)**

निर्णय **उक्त समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया (परिशिष्ट-I)।**

मद सं. 4 विद्या परिषद् की संस्तुति संख्या 14 दिनांक 22 मई, 2006 एवं संस्तुति संख्या 2 दिनांक 25 मई, 2007 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) में निम्नानुसार संशोधन किए जाने पर विचार करना : **शैक्षणिक-।एवं शैक्ष.-।।**

Ordinance 51(1)

A college seeking affiliation in terms of Sec.24 of the University Act whether for the first time or for extension in the period of temporary/provisional affiliation or in additional subject(s) or for additional course(s) of study or for permanent affiliation shall make a written application through proper channel to the Registrar accompanied with necessary fee as prescribed **(failing which the application form shall be treated as cancelled or otherwise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected)** not later than 31st December preceding the academic year from which recognition sought is to take effect. However, applications may also be entertained thereafter but not later than 30th May, provided that special valid reason to the satisfaction of the University are given and the application is accompanied with a late fee equal to the amount of affiliation fee prescribed.An affiliation fee for extension for provisional affiliation or for permanent affiliation may be accepted as a special case at the discretion of the University even after 30th May, but not later than the date of the commencement of the academic session provided it is accompanied with a late fee as decided by the University.

निर्णय **प्रस्तावित संशोधन प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंषा की।**

मद सं. 5 विद्या परिषद् की निर्णय सं.29 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 द्वारा अगली बैठक में विचार किए जाने हेतु स्थगित किए गए मद ***'विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की अन्तिम वर्ष की समस्त परीक्षाओं में जो छात्र प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को छात्रों एवं अन्य के अवलोकनार्थ विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संरक्षित रखे जाने पर विचार करना'*** पर विचार करना। **गोपनीय**

निर्णय **परिसर में संचालित सैमेस्टर परीक्षाओं के आन्तरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं छात्रों को दिखायी जाए।**

मद सं. 6 विद्या परिषद् की निर्णय सं.30 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 द्वारा अगली बैठक में विचार किए जाने हेतु स्थगित किए गए मद ***'विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं में प्रविष्ठ विद्यार्थियों द्वारा जिस वर्ष में परीक्षा दी गई है, उसी वर्ष में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विद्यार्थी के आवेदन पर चाही गई उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति उपलब्ध कराना'*** पर विचार करना। **गोपनीय**

निर्णय **प्रकरण की व्यवहारिकता प्रक्रिया और औचित्य पर समग्र विचार करने हेतु निम्नांकित**

समिति का गठन करने का निर्णय किया :

1. **डीन, छात्र कल्याण, म द स विश्वविद्यालय, अजमेर**

2. **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर**
3. **डीन, शिक्षा संकाय, म द स वि, अजमेर**
4. **परीक्षा नियन्त्रक, म द स वि, अजमेर**

मद सं.7 माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना : **शैक्षणिक**

1. प्रतिवेदन है कि, समाज विज्ञान विज्ञान संकायाध्यक्ष और विज्ञान संकायाध्यक्ष से प्राप्त परामर्श के आधार पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा एम.ए./एम.एससी. मनोविज्ञान पाठ्यक्रम स्वयंपाठी छात्र के रूप में परीक्षा दिए जाने का प्रावधान किए जाने के आधार पर इस विश्वविद्यालय में भी एम.ए./ एम.एससी. पाठ्यक्रम स्वयंपाठी छात्र के रूप में दिए जाने के माननीय कुलपति महोदय ने आदेश प्रदान किए।

निर्णय **माननीय कुलपति महोदय के उक्त आदेशों की पुष्टि की गई।**

मद सं. 8 राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के अँग्रेजी विभाग के शिक्षकों से सामान्य अंग्रेजी विषयों को स्नातक स्तर पर (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में) अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त पत्र दिनांक 25.11.2008 पर विचार करना। **शैक्षणिक-।।।**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-II पर संस्तुत उक्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।**

मद सं. 9 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के आर्यभट्ट भवन स्थित Computer Application विभाग में Evronn Systems India Ltd. No.82, IV Avenue, Ashok Nagar, Chennai (An ISO 9001-2000 Certified Company) द्वारा निःशुल्क स्थापित किए गए V-SAT Station और एक ViTELS Technology Enabled Classroom" से विश्वविद्यालय के सम्बद्ध सभी 270 महाविद्यालयों को चरणबद्ध रूप में जोड़े जाने हेतु निम्नानुसार आशयपत्र दिए जाने पर विचार करना : **शैक्षणिक-।। एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग**

"We express our intent to work together namely; The Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer and the Evronn Systems India Ltd., No.82, IV Avenue Ashok Nagar, Chennai towards exploring common ground and which may lead to signing of a memorandum of understanding with Evronn Systems, to connect all the 270 Colleges affiliated to the said University in a phased manner for which University has granted access to Evronn to install a V-SAT Station and one ViTELS technology enabled classroom on 24 Dec. 2008 in the University department of Computer Application, Arya Bhatt Bhawan as a 'Technology Demonstrator' free of cost.

The complete proposal for setting-up of these said studio at the University Campus shall be decided by the authorities of the University"

Authorised Signature on behalf of Company

Authorised Signature on behalf of MDS University

निर्णय **प्रस्तुत आशयपत्र को स्वीकार किया एवं संस्तुति की, कि, एम.ओ.यू. करते समय विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों को ध्यान में रखकर ही एम.ओ.यू. किया जाए।**

मद सं. 10 विभागाध्यक्ष, विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन द्वारा विभाग में संचालित स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रम एम.एससी.(रसायन शास्त्र) के अध्यापन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रान्च) नियम, 1962 के अन्तर्गत नियुक्त मैडिसिन एनोटॉमी, मैडिसिन फिज़ियोलॉजी, फॉरेन्सिक मैडिसिन, मैडिसिन बायोकैमिस्ट्री के वरिष्ठ पथ-प्रदर्शकों (Sr. Demonstrator) को अतिथि शिक्षक के रूप में बुलाए जाने और उनके लिए अतिथि शिक्षक हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं UGC NET/SLET की अनिवार्यता से छूट देने पर विचार करना। **रसायन शास्त्र तथा वित्त व लेखा (स्ववित्त पोषी प्रकोष्ठ)**

निर्णय **प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।**

मद सं.11 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय जिन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों में अंकित सम्बद्धता की शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और बकाया सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराया है तथा जिन्हें विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत सम्बद्धता की समाप्ति/वापसी किए जाने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया है, ऐसे 34 महाविद्यालयों **(परिशिष्ठ-III)** के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 25(2) के अन्तर्गत उनकी सम्बद्धता वापिस लिए जाने अथवा उपान्तरण के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड में रखने से पूर्व अन्तरिम कार्यवाही के रूप में निम्नांकित कार्यवाही किए जाने पर विचार करना : **शैक्षणिक-।।**

1. ऐसे महाविद्यालयों के किसी भी पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि के आवेदन पर विचार नहीं किया जाए
2. ऐसे महाविद्यालय यदि किसी पाठ्यक्रम में नवीन सम्बद्धता अथवा चल रहे पाठ्यक्रम की सम्बद्धता वृद्धि करने हेतु आवेदन करते हैं, तो उन आवेदनपत्रों पर विचार न किया जाए।
3. इन महाविद्यालयों के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर दी जाए कि, ऐसे महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों की अनुपालना करने में गम्भीर नहीं हैं और विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः ऐसे महाविद्यालयों में विद्यार्थी यदि प्रवेश लेते हैं और उन छात्रों की परीक्षा का आयोजन अथवा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाने की स्थिति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
4. जिन महाविद्यालयों ने परिनियम 17(9) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना किसी महाविद्यालय को अथवा किसी पाठ्यक्रम को बन्द कर दिया है और बकाया सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराया है तो ऐसे महाविद्यालय के छात्रों की उपाधियाँ रोक ली जावें और जिस

संस्था द्वारा महाविद्यालय संचालित है/था, उस संस्था की जवाबदेही सुनिश्चित की जावे।

निर्णय **परिशिष्ठ-।। में वर्णित महाविद्यालयों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्तावित कार्यवाही की जाने की स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं.12 सम्बद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड. पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के आन्तरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत महाविद्यालयों द्वारा सभी प्रश्नपत्रों में विद्यार्थी को शून्य अंक प्रदान करने और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की स्थिति में विद्यार्थी के साथ आन्तरिक मूल्यांकन के माध्यम से पहुँचाई गई हानि की सम्भावनाओं को रोकने पर विचार करना। **शैक्षणिक-।।। व गोपनीय**

निर्णय **निर्णय किया कि :-**

(i) **शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में आन्तरिक मूल्यांकन का कलैण्डर निर्धारित किया जाए।**

(ii) **आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षाओं की तिथियों की सूचना सम्बन्धित छात्र को दिए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व महाविद्यालय पर हो। यदि कोई छात्र दी गई सूचना पर अनुपस्थित रहता है तो महाविद्यालय का दायित्व होगा कि वह छात्र को यह भी सूचित करे कि आप आन्तरिक मूल्यांकन की अमुख तिथि को अनुपस्थित रहे हैं।**

(iii) **महाविद्यालय के प्राचार्य, आन्तरिक मूल्यांकन की परीक्षा होते ही उसके परिणाम की प्रति तुरन्त परीक्षा नियन्त्रक को गोपनीय रूप में पहुंचाना सुनिश्चित करें।**

(iv) **महाविद्यालय आन्तरिक मूल्यांकन की उत्तरपुस्तिकाएं व दस्तावेजी प्रमाण मुख्य परीक्षाएं आरम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक को भिजवाएँ।**

(v) **इस हेतु अध्यादेश में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तो तद्नुसार परिवर्तन भी किया जाए।**

मद सं.13 विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में संचालित एम.बी.ए. (बिज़नेस इकोनॉमिक्स) सत्र 2008-09 तृतीय सैमेस्टर के प्रश्नपत्र संख्या 305 के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम 'Econometric Methods' के स्थान पर त्रुटिवश Operations Research का पाठ्यक्रम जो सत्र 2009-10 के लिए विद्या परिषद् से अनुमोदित है का अध्यापन विभाग द्वारा कराया गया है। चूँकि, यह पाठयक्रम केवल विश्वविद्यालय के विभाग में संचालित है अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2009-10 के तृतीय सैमेस्टर के लिए स्वीकृत Operations Research पाठ्यक्रम को सत्र 2008-09 के तृतीय सैमेस्टर के लिए Econometric Methods के स्थान पर स्वीकार किए जाने पर विचार करना। **शैक्षणिक-।।।**

निर्णय **उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया और निर्णय किया कि :-**

(i) पाठ्यक्रम के निर्माण एवं प्रकाशन में समयबद्धता निम्नानुसार तय की जाए :

(क) विद्या परिषद् से अनुमोदित पाठ्यक्रम अप्रेल माह तक संयोजक को उपलब्ध हो।

(ख) मई माह में पाठ्यक्रम मुद्रण हेतु प्रेस में चला जाए और अध्ययन बोर्ड के संयोजक उसका अन्तिम प्रूफ मई माह तक पारित कर दें, जिससे जुलाई माह में विश्वविद्यालय खुलने से पूर्व पाठ्यक्रम प्रकाशित हो सके।

(ii) विद्या परिषद् से अनुमोदित पाठ्यक्रम के स्थान पर कोई अनाधिकृत पाठ्यक्रम का अध्यापन कराए जाने के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तरदायी होंगे और जिस शैक्षणिक विभाग/महाविद्यालय में ऐसी घटना होगी, उस विभाग के विभागाध्यक्ष और महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखित में चेतावनी दी जाएगी जो विद्या परिषद् की बैठक में अभिलेखन हेतु प्रतिवेदित की जाएगी।

मद सं.14 अध्यादेश 124.8(ix) (d) के नीचे निम्नांकित प्रावधान जोड़े जाने पर विचार करना: **शैक्षणिक-।**

Note : In the case of inability or non availability of the expert under clause (ix)(c) of this Ordinance the Vice Chancellor shall appoint another expert out of the panel available under the provisions of O.124.9.(i)A(5) **एवं शोध**

निर्णय **प्रस्तावित संशोधन प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की अनुशंषा की।**

मद सं.15 पत्रकारिता और जनसंचार संकाय के अन्तर्गत प्रस्तावित *'त्रिवर्षीय बैचलर ऑफ मल्टी मीडिया कम्यूनिकेशन्स स्टडीज़ पाठ्यक्रम'* की प्रारम्भिक रूपरेखा एवं अन्य आवश्यकताओं पर विचार कर निर्णय करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट-IV)** **शैक्षणिक-।।।**

निर्णय **उपर्युक्त पाठ्यक्रम की प्रस्तावित रूपरेखा एवं अन्य प्रस्तावों (परिशिष्ट-III) को स्वीकृति प्रदान की।**

मद सं.16 सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षा के लिए आमन्त्रित बाह्य परीक्षकों द्वारा टैक्सी अथवा स्वयं की कार से यात्रा की माँग करने और उसकी पूर्ति न करने पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु अनुपलब्ध होने की स्थिति पर विचार करना। **गोपनीय**

निर्णय **उक्त प्रयोजनार्थ बाह्य परीक्षकों को टैक्सी अथवा स्वयं की कार से यात्रा करने की अनुमति हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं.17 विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 12.9.2008 के निर्णय संख्या 3 में निर्णय सं.22 पर प्रेक्षण के अन्तर्गत संस्तुत मानदण्डों के आधार पर निम्नलिखित 25 अध्ययन बोर्डों का गठन किया गया है : **शैक्षणिक-।।। एवं परीक्षा**

1 अध्ययन बोर्ड	-	हिन्दी
2 अध्ययन बोर्ड	-	उर्दू, अरेबिक, पर्शियन
3 अध्ययन बोर्ड	-	अँग्रेजी

4 अध्ययन बोर्ड	-	ड्रॉइंग एण्ड पेन्टिंग
5 अध्ययन बोर्ड	-	संगीत
6 अध्ययन बोर्ड	-	इतिहास
7 अध्ययन बोर्ड	-	समाजशास्त्र
8 अध्ययन बोर्ड	-	संस्कृत
9 अध्ययन बोर्ड	-	अर्थशास्त्र
10 अध्ययन बोर्ड	-	पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
11 अध्ययन बोर्ड	-	राजनीति शास्त्र
12 अध्ययन बोर्ड	-	भूगोल
13 अध्ययन बोर्ड	-	भौतिक शास्त्र
14 अध्ययन बोर्ड	-	रसायन शास्त्र
15 अध्ययन बोर्ड	-	वनस्पति शास्त्र
16 अध्ययन बोर्ड	-	प्राणिशास्त्र
17 अध्ययन बोर्ड	-	गणित
18 अध्ययन बोर्ड	-	गृह विज्ञान
19 अध्ययन बोर्ड	-	फूड एण्ड न्यूट्रिशन
20 अध्ययन बोर्ड	-	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी
21 अध्ययन बोर्ड	-	लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी
22 अध्ययन बोर्ड	-	व्यावसायिक प्रबन्ध
23 अध्ययन बोर्ड	-	अर्थशास्त्र एवं वित्तीय प्रबन्ध
24 अध्ययन बोर्ड	-	प्रबन्ध अध्ययन
25 अध्ययन बोर्ड	-	विधि

निर्णय **उपर्युक्त सूचना को अभिलिखित किया गया।**

मद सं.18 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों जिन्होंने सत्र 2008-09 में राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है/ जिनका अनापत्ति प्रमाणपत्र राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है, उन महाविद्यालयों द्वारा प्रविष्ठ किए गए छात्रों के परीक्षा आवेदनपत्र वापिस लौटाए जाने हैं और उन छात्रों को जिन पाठ्यक्रमों में स्वयंपाठी छात्रों के रूप में परीक्षा देने का प्रावधान है उन परीक्षाओं में स्वयंपाठी छात्र के रूप में अनुमति देने पर विचार करना : **शैक्षणिक-।।**

1. नेहरू महाविद्यालय, पीपलू (टौंक)
2. सीमान्त महाविद्यालय, सांचौर (जालौर)
3. श्री भगवान महावीर कॉलेज, सादड़ी
4. सेठ जोहरीमल जैन महाविद्यालय, बिलाड़ा (जोधपुर)
5. सरदार पटेल महिला महाविद्यालय, (डीडवाना)
6. राजश्री कन्या महाविद्यालय, मसूदा (अजमेर)
7. आर.सी. मेमोरियल कॉलेज, मारवाड़ (पाली)
8. गुरुमंछ शिक्षण संस्थान, पादरी रोड, सिवान, (बाड़मेर)

निर्णय **उक्त आठ महाविद्यालयों के सम्बन्ध में उपकुलसचिव-शैक्षणिक-।। (विशेष आमन्त्रित) ने सदन को अवगत कराया कि, इन महाविद्यालयों को दिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र**

राज्य सरकार ने माह अप्रैल 2008 में ही निरस्त कर दिए थे, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय ने इन्हें सूचित किया था कि वे सत्र 2008-09 में छात्रों को प्रवेश न दें, किन्तु, महाविद्यालयों ने इन निर्देशों की अवहेलना की है और न केवल छात्रों को प्रवेश दिया है, अपितु, उनसे परीक्षा आवेदनपत्र भरवाकर विश्वविद्यालय को भिजवा भी दिए हैं।

प्रस्तुत सूचना को अभिलिखित करते हुए विद्या परिषद् ने निर्णय किया कि-

1. राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को दिए गए अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त करने का वास्तविक परिणाम क्या होगा? इसका मूल्यांकन किया जाए।
2. विश्वविद्यालय के अधिनियम और परिनियम के आधार पर यह परीक्षण किया जाए कि, इस प्रकार अनापत्ति निरस्त करने से सम्बद्ध महाविद्यालय का अस्तित्व कितने परिमाण में, किस अवधि के लिए समाप्त हो जाएगा ?
3. यह परीक्षण किया जाए कि, इन सम्बद्ध महाविद्यालयों में किस-किस पाठ्यक्रम में कितने-कितने छात्र अध्ययनरत हैं और उनमें से किन-किन परीक्षाओं के छात्रों को स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के रूप में अनुमति दी जा सकती है और जिन पाठ्यक्रमों को स्वयंपाठी छात्र के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती, उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो सकती है? यदि कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है तो वे आवेदनपत्र महाविद्यालय को लौटा दिए जाएँ।
4. उक्त महाविद्यालयों ने जिन छात्रों को प्रवेश दिया है उनकी सम्पूर्ण प्रवेश एवं अन्य शुल्क विश्वविद्यालय के कोष में जमा कराया जाए जिससे इन छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
5. भविष्य में, सितम्बर माह तक शैक्षणिक अनुभाग, परीक्षा अनुभाग को यह सूची बनाकर दे कि, उस सत्र में किस-किस महाविद्यालय के अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप उस महावद्यालय में कौन-कौन से पाठ्यक्रम प्रभावित हुए हैं?
6. परीक्षा आवेदनपत्र भेजने वाला अनुभाग जिस महाविद्यालय को परीक्षा आवेदनपत्र भिजवा रहा है उस महाविद्यालय की सील एवं परीक्षा आवेदनपत्रों पर सीरियल नम्बर अंकित करके ही भिजवाएँ। यदि किसी महाविद्यालय से बिना सील और सीरियल नम्बर के बाहर आवेदनपत्र प्राप्त होते हैं, तो उस आवेदन पत्र को अनाधिकृत मानते हुए प्रेषक प्राचार्य को दोषी ठहराया जाए।

विद्या परिषद् की आगामी बैठक का आयोजन 30 अप्रैल, 2009 को मध्याह्न 11.00 बजे बृहस्पति भवन में होगा।

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

कुलपति कुलसचिव